No. 45620 *

Ireland and India

Convention between the Government of Ireland and The Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains (with protocol and exchange of notes, Dublin, 03 September 2001 and 31 December 2001). New Delhi, 6 November 2000

Entry into force: 27 December 2001 by notification, in accordance with article 28

Authentic texts: English and Hindi

Registration with the Secretariat of the United Nations: Ireland, 5 January 2009

Irlande et

Inde

Convention entre le Gouvernement de l'Irlande et le Gouvernement de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (avec protocole et échange de notes, Dublin, 03 septembre 2001 et 31 décembre 2001). New Delhi, 6 novembre 2000

Entrée en vigueur: 27 décembre 2001 par notification, conformément à l'article 28

Textes authentiques: anglais et hindi

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies: Irlande, 5 janvier 2009

* The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.

Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

Convention between the Government of Ireland and The Government of the Republic of India for the avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains

Done at New Delhi on 6 November 2000

Notification of the completion of the requirements for entry into force exchanged on 9 November 2000 and 27 November 2001

Entered into force on 27 December 2001

Presented to Dáil Éireann by the Minister for Foreign Affairs CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS

The Government of Ireland and the Government of the Republic of India,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains and with a

view to promoting economic co-operation between the two countries,

HAVE AGREED as follows:

Article 1 Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

- 1. This Convention shall apply to taxes on income and capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income and capital gains all taxes imposed on total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
- 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
- (a) In India:

the income tax, including any surcharge thereon; (hereinafter referred to as "Indian tax");

- (b) in Ireland:
 - (i) the income tax;
 - (ii) the corporation tax; and
 - (iii) the capital gains tax

(hereinafter referred to as "Irish tax'1).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 General Definitions

For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "India means the territory of India and includes the territorial sea and air-space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the UN. Convention on the Law of the Sea;
- (b) the term 9reland' includes any area outside the territorial waters of Ireland which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of Ireland concerning the Continental Shelf, as an area within which the

rights of Ireland with respect to the sea and subsoil and their natural resources may be exercised;

- (c) the term "person" includes an individual, a company, a trust, a partnership which is treated as a taxable unit under the Income Tax Act, 1961(43 of 1961) of India, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (g) the term 'competent authority' means:
 - (i) in the case of India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
 - (ii) in the case of Ireland: the Revenue Commissioners or their authorised representative;
- (h) the term "national" means:
 - (i) in relation to Ireland, any citizen of Ireland and any legal person, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in Ireland:
 - (ii) in relation to India,
 - (A) any individual possessing the nationality of India;
 - (B) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in India;
- (i) the term "fiscal year" means:
 - (i) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income Tax Act, 1961;
 - (ii) in the case of Ireland, a year beginning with the sixth day of April in one year and ending with the fifth day of April in the following year:
- (j) the term "tax" means Indian tax or Irish tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

- (k) the terms "a Contracting State", "one of the Contracting States" and "the other Contracting State" mean Ireland or the Republic of India, as the context requires, and the term "Contracting States" means Ireland and the Republic of India.
- 2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Resident

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5 Permanent Establishment

For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction or exploration of natural resources;
(g) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
(h) a sales outlet;
(i) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
(j) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.3. A building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activity last more than six months.
4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in, the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.
5. Notwithstanding the previous provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing

solely for the purpose of processing by another enterprise;

goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
- 6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.
- 7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.
- 8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise and the conditions made or imposed between them in their commercial and financial relations differ from those which would have been made or imposed if this had not been the case, that agent shall not be considered to be an agent of an independent status for the purpose of this paragraph.
- 9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6
Income from Immovable Property

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, aircraft and motor vehicles shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 Business Profits

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as [aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. Executive and general administrative expenses shall be allowed as deductions in accordance with the taxation laws at that State. Nothing in this paragraph shall, however, authorise a deduction for expenses which would not be deductible if the permanent establishment were a separate enterprise.
- 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and Air Transport

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation or rental of ships or aircraft in international traffic and the rental of containers and related equipment which is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
- 3. For the purposes of this Article, interest on funds connected directly with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft; and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest, provided that such funds are incidental to that operation.
- 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships between the ports of the other Contracting State and the ports of third countries may be taxed in that other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to two thereof.

Article 9 Associated Enterprises

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
- 2. Where Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 *Dividends*

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
- 3. The term "dividends as used in this Article includes income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 *Interest*

- 1. interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State provided it is derived end beneficially owned by, or derived in connection with a loan or credit extended, guaranteed or insured by:
- (a) the Government, a political subdivision, a statutory body or a local authority of the other Contracting State; or

(b)

(i) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export - Import Bank of India, the National Housing Bank, the Small

Industries Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); and

- (ii) in the case of Ireland, the Central Bank of Ireland; or
- (c) any other similar institution as may be agreed from time to time between the Competent Authorities of the Contracting States.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, but does not include any income which is treated as a dividend under Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
- 5. The provisions of paragraphs I and 2 shall riot apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent Establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12 Royalties and Fees for Technical Services

- 1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- 3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes for radio or

television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, other than an aircraft, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;

- (b) The term "fees for technical services means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention.
- 4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Capital Gains

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of

such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

- 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
- 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3. 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent Personal Services

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16 Director's Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and Sportspersons

- 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to some other person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportsperson if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18 Pensions and Annuities

- 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment and any annuity paid to such a resident in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
- 2. The term "annuity means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19 Government Service

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 1. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State;
- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16, and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students and Apprentices

- 1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on:
- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State to the extent that it does not exceed the amount which is exempt from tax under the laws of that other Contracting State for any fiscal year; provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purposes of his maintenance.
- 2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be I reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

Professors, Teachers and Research Scholars

- 1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State for such purpose.
- 2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is a resident in that Contracting State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately pre ceding fiscal year.

Article 22

Other Income

- 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
- 2. The provisions of paragraph I shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that

other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph I, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income my be taxed in the other Contracting State.

Article 23 Elimination of Double Taxation

- 1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.
- 2. Subject to the provisions of the laws of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax paid in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof), the amount of Irish tax paid, under the laws of Ireland and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Ireland which has been subjected to tax both in India and Ireland shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.
- 3. Subject to the provisions of the laws of Ireland regarding the allowance as a credit against Irish tax of tax payable in a territory outside Ireland (which shall not affect the general principle hereof)
- (a) Indian tax payable under the laws of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income and gains from sources within India (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Irish tax computed by reference to the same profits, income and gains by reference to which Indian tax is computed.
- (b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Ireland and which controls directly or indirectly 25 per cent or more of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Indian tax creditable under the provisions of subparagraph (a)) Indian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.
- 4. (a) For the purposes of subparagraph (b) of paragraph 3, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include 75 per cent of the Indian tax which would have been paid but for any exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in Indian Law designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities, or from the development, maintenance and operation of infrastructure

facilities, or from agriculture, fishing or tourism (including restaurants and hotels), provided that such incentive provisions remain in substance unchanged since the date of signature of this Convention and that the activities have been carried out within India.

- (b) The provisions of subparagraph (a) shall cease to apply after twelve years from the date of entry into force of this Convention.
- (c) Should India amend in substance its incentive provisions in relation to the activities specified in sub-paragraph (a) or introduce any new incentive provisions in relation to such activities, India may request in writing that this paragraph should apply to such amended or new provisions. Likewise, India may request in writing an extension of the time-limit in sub-paragraph (b). Upon receipt of such request, Ireland shall enter into negotiations with India for such purposes.
- 5. For the purposes of paragraphs 2 and 3, profits, income and gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with the provisions of this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.
- 6. Income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

Article 24 Non-Discrimination

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other
- State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
- 3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- 4. Except where the provisions of paragraph I of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article-12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of Information

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information including documents, as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting State concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information so exchanged by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27 Diplomatic Agents and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28 Entry into Force

- 1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention.
- 2. This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1.
- 3. The provisions of this Convention shall have effect:
- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and
- (b) in Ireland:
 - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after the sixth day of April in the year next following the date on which this Convention enters into force;
 - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after the first day of January in the year next following the year in which this Convention enters into force.

Article 29 Termination

This Convention shall remain in force indefinitely unless terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in India, in respect of income arising in any fiscal year on or after the first day of April in the year next following the calendar year in which the notice is given:

(b) in Ireland:

- (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after the sixth day of April in the year next following the calendar year in which the notice is given;
- (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi on this 6th day of November in 2000, in the English and Hindi languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall prevail.

PROTOCOL

At the signing of the Convention between the Government of Ireland and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and for the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income and capital gains, the

undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Convention:

1. With Reference to Articles 3 and 23

Where a person resident in Ireland is a member of a partnership which is resident in India and by virtue of this Convention any profits, income or gains of the partnership are relieved from tax in Ireland, the Convention shall not affect any liability to tax in Ireland of such person in respect of such person's share of any profits, income or gains of the partnership; any such share of profits, income or gains shall be treated for the purposes of Article 23 as profits, income or gains from sources in India and the appropriate part of the Indian tax borne by the partnership shall be allowed as a credit against any Irish tax computed by reference to the said share of the profits, income or gains.

2. With Reference to Article 7

If, in accordance with the laws of a Contracting State, profits are attributed to a permanent establishment of an enterprise carrying on insurance business, on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in Article 7.

3. With Reference to Article 24

The provisions of this Article shall not be construed as preventing India from charging the profits of a permanent establishment of an Irish company in India at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar Indian company, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

4. With Reference to Collection Assistance

It is understood that at the date of signature of this Convention, the laws of Ireland do not permit it to lend assistance in the collection of taxes on income, profits or gains of another country. However, if after the date of signature of this Convention, the laws of Ireland in this respect change and Ireland enters into an arrangement with another country to permit such assistance in collection, then Ireland shall inform the Indian competent authority and, if requested by such authority, shall immediately enter into negotiations for the purpose of incorporating provisions with regard to collection assistance in this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi this 6th day of November in 2000, in the English and Hindi languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall prevail.

[HINDI TEXT – TEXTE HINDI]

आत्यं तथा पूंजीयत अभिनामी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्य अपवंचन को रोकने के लिप

आयरलैण्ड की सरकार

तया

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय

आयरलैण्ड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार

आय तथा पूंजीगत अधिनामों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के प्रीरहार एवं राजस्व अपनंचन को रोकने तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बद्भावा देने की दृष्टि से एक अधिसमय निष्णन करने की उद्धाल से ;

नीचे लिसे अनुसार सष्टमत हुई है :-

- 2 -

अनुच्छेद - 1

वैयक्तिक कार्यक्षेत्र

यह अधिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविताकारी राज्यों में से किसी एक अधना होनों के निवासी हैं। - 3 -

बनुद्धेद - १

अभिसमय के अंतर्गत शामिल कर

- 1. यह अभिसमय, किसी सींवदाकारी राज्य अधवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभागों अधवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पृंतीगत अभिलामों पर लगाए गए करें के संबंध में तागू होगा चाहे थे किसी भी तरह से लगाए गए हीं ।
- श्रम् अवया अवल सम्पित के अंतरण से प्राप्त अभिलम्में पर तमाए गए कमें सहित अवय अथवा अव के तत्वों पर लगाए गए समी कमें को आय तथा पूंजीगत अभिलम्में पर लगाए गए कमें के रूप में माना जाएगा ।
- किन मौजूदा करों पर यह अधिसमय लागु होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

 - हेस
 आयस्तेण्ड में ;
 - ∦i≬ आयकर ;
 - 8 ii कि निगम कर : तथा
 - १ i i i है पूंजीगत अभिलाभ कर ;

\$जिसे इसके पश्चात "आयरिश कर" कहा जाएसा। ।

4. यह अधिसगय किसी भी रामस्य अध्या तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर इस्ताक्षर किए जाने की ताविस के पश्चात् पैराग्राफ 3 में उत्तिवित विद्यमान करों के अतिरिक्त अध्या उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकार्ध राज्यों के सक्षम प्रधिकार्ध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिस्थित करेंगे जो उनके अपने-अपने कस्थान कानुनों में किए गए हों ।

- 4 -

अनुरक्षेत्र - उ

सामान्य परिमापाएं

- इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - १क६ "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके उत्पर का वायुमंडतीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामित है जिसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;
 - ृष्ण "आयरलेण्ड" पर में आयरलेण्ड के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के नाहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र शामिल है जिसे महाद्वीप जलगठन सीमा से संबंधित अन्तरसम्बूधिय कानून के अनुसार और आयरलेण्ड के कानूनों के अंतर्गत किसी ऐसे क्षेत्र के स्थ में नामोदिष्ट किया गया हो या इसके बाद नामोदिष्ट किया जाए जिसमें समुद्र तथा अवमृदा एवं प्रकृतिक संसाधनों के बारे में आयरलेण्ड के अधिकारों का प्रयोग किया जा सके;
 - १गं इंग्डिं "व्यक्ति" पद से कोई व्यक्टि कोई कम्पनी, न्यास, साझेदारी जिसे मास्तीय आयकर अधिनियम 1961 १1961 का 43१ के अंतर्गत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता हो, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता अभिनेत है जिसे संबंधित सीवदाकारी राज्यों में प्रकृत कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता हो ;
 - १ पश्च "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अधवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिग्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता हो ;
 - इंड. "एक सीवराकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे सीवराकारी राज्य का उद्यम" पर्दों से कमश्रः एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचासित कोई उद्यम अभिनेत है;
 - श्वि "अन्तरमध्येय यातायात" पद से अभिग्रेत है किसी व्ययुयान अथवा जलयान बार कोई भी परिवहन जो एक सीवेदाकारी राज्य के किसी उद्यम बारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा व्ययुयान केदल दूसरे सीवेदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्थानों के बीच ही बलाया जाता हो;

- 5 -

- हुछ । "सक्षम प्रधिकारी" पद से अभिप्रेत है :
 - शिंश भारत के मामले में : केन्द्रीय सरकार का किल मंत्रालय १ राजस्य किमाग १ अथवा उसका प्रथिकृत प्रतिनिधि ;
 - हों है अध्यारलैण्ड के मामले में : किल्ल आयुक्त अध्या उनके प्रशिक्त प्रतिनिधि :
- **१ज**१ "सम्दिक" पद से अभिनेत है :
 - १ १ अध्यक्तिण्ड के संबंध में, अध्यक्तिण्ड का कोई नागरिक तथा कोई क्या क्या क्या कार्य सत्ता जिसे अपनी यह हैसियत आयर्तण्ड में प्रकृत कानुनों से प्राप्त होती हो ;
 - १। । भारत के संबंध में :
 - १क) भारतीय राष्ट्रीयता धारण करने वाता कोई व्यक्ति ;
 - इस कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अधना संस्था जिसे अपनी
 यह हैसियत भारत में प्रकृत कानूनों से प्रप्त होती हो ;
- §दा§ "यिस्त वर्ष" पद से अभिक्रेत है :
 - १ i अधारत के मामले में, "पूर्व वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन पीरेमाधित किया गया है:
 - हैं। इंश आयरलैण्ड के मामले में, एक वर्ष में औरल की 6 तारीख़ से आरम्भ होने जाला लथा आगामी वर्ष में औरल की 5 तारीख़ को समास्त होने जाला वर्ष ।
- ्रिक्त "कर" पद से संदर्भ की अध्या के अनुसार भास्तीय कर अधवा आयरतैण्ड कर अधिका है परन्तु इसमें कोई ऐसी स्कम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चुक के संबंध में देय है जिनके लिए यह अधिसमय लागू होता है अधिवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्ध-दंड या जुर्माने की निरुप्त करती है ;
- १ट१ं "एक सींवदाकारी राज्य" तथा दोनों में से कोई एक सींवदाकारी राज्य और "दूसरा सींवदाकारी राज्य" पद का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार आयरलैण्ड अथवा भारत गणराज्य से है तथा सींवदाकारी राज्यों का अर्थ आयरलैण्ड तथा भारत गणराज्य है ।

- 6 -

2. जहाँ तक किसी संविद्यकार राज्य द्वरा इस अभिसमय के प्रकान का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिमाधित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यशा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

- 7 -

अनुस्केद - 4

निवसी

- 1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अझ्रोद्धा है कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान उद्यान इसी प्रकार की किसी अन्य कसीटी के कारण बडां पर कर लगाया जा सकता है ।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपनंशों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी कर्यों का नियासी हो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
 - इंक इं उसे उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यहि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध धनिष्ठतर ईमहत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है है;

 - १मिं। यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अध्यय उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का ही निवासी माना आपरा जिसका वह एक समितक है ;
 - हुँ घहें यदि वह दोनों करयों का सम्दिक है अथवा उनमें से किसी एक का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो सीवदाकारी सन्यों के सक्षम प्राधिकारी प्ररस्पीक सहमन्ति उस इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।
- 3. जहां व्यक्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पेराग्राफ 1 के उपलंशों के कारण दोनों सीवदाकारी राज्यों का निवासी हो तो यह उस राज्य का ही निवासी माना जालगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सके जिसमें उसका प्रमावी प्रवंध-स्थान स्थित हो, तो सीवदाकारी राज्यों के सक्षण प्रशिकारी पारस्परिक सहमित से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

- 8 -

अनुस्केद - ५

स्थायी संस्थापन

- इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिनेत्र है जिसके दश किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णन: अग्रवा अंशत: किया जाता है ।
- 2 "स्थायी संस्थापन" पर में विशेषतया निम्नलिखित श्रामिल हैं :-
 - 🎙 क 🤾 🍱 का कोई स्थान 🥫
 - हंसहं कोई शासा ;
 - १ग१ कोई कार्यालय :
 - **१**घ∮ कोई कारबाना ;
 - §ड-} कोई कार्यशाला *;*
 - हेस हैं कोई सान, तेल अधवा गैस का कोई कुऔ, कोई सदान अधवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण अधवा अन्वेषण का कोई अन्य स्थान ;
 - ्रेष्ठ हैं कोई प्रस्थापन अधवा संरचना जो कि प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण अधवा अन्वेषण में प्रयुक्त होता हो;
 - ∦ज**्रं को**ई विक्य केन्द्र ;
 - हिझ है अन्य व्यक्तियों हेतु भण्डारण मुक्थिएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति का कोई भाण्डागार ; और
 - ्रिज । कोई फार्म, आयान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिका, आगान अथवा संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं ।
- 3- कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यविक्षी कार्यकताप अथवा कोई स्थावी संस्थापन यदि ऐसे स्थल परियोजना अथवा कार्यकताप 6 माह से अधिक अबिध तक नारी रहते हों।
- 4. किसी उद्यम के लिए यह माना जाएगा कि उसका किसी सींवराकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है और वह उसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है यदि वह उस राज्य में सीनज तेलों के पूर्वेसम अथवा निष्कर्षण या बोहन के संबंध में सेवाएं अथवा सूर्वियाएं प्रदान करता है अथवा उसके लिए या उसमें प्रयुक्त होने वाले संयंत्र और मशीनों को किशए पर सप्लाई करता है।

- इस अनुस्केद के पूर्ववर्शी उपलंधी के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद मैं निम्मितिक्षत को शामिल नहीं माना जाएगा :-
 - कि किसी उद्यम के माल अध्यवा एम्य-बस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन, डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
 - १ म १ केवल भण्डारण अथना प्रदर्शन अधना डिलीवरी के प्रयोजनाई उद्यम के माल अथना प्रथम-वस्तुओं का स्टॉक रसना ;
 - १ किसी अन्य उद्यम द्वार केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्थंक रसना ;
 - \$घ\$ किसी उद्यम के माल अधन भ्रम्थ-वस्तुओं का केवल कृय करने अधना सुचना फ्कन्न करने के प्रयोजनार्ध कारोबार को किसी निश्चित स्थान का रह-रबाव करना;
 - १८०१ उद्यम के लिए प्रारम्भिक अध्यक्ष सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाए को बलाने के लिए कारोबार के निश्चित स्थान का रख-रखाद करना ;
 - हेच इ.प-पैराग्राफ १क हे से १ड १ तक में उत्तिलित केवल किन्हीं कार्यक्लामें के संयोजनों हेतु व्यावसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्त कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यक्लाम किसी प्रायम्बक अथवा सहायक स्वरूप का ही ।
- 6. पेराग्राफ 1 और 2 के उपनंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्कांत्र हैसियत वाले अभिकर्ता से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, दूसरे संविदाकारी एज्य के किसी उग्रम की और से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो ऐसी अवस्था में उस उग्रम का किन्हीं ऐसे कार्यकराणों के बारे में प्रथमोत्तिसीत संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा जो कार्यकराण वह व्यक्ति उस उग्रम के लिए करने का जिम्मा लेता है, यिव उस व्यक्ति हो:
 - इक इस राज्य में उक्त उत्तम की और से संविदाएं निष्णन करने का प्रधिकार प्रथम हो और वह आदतन उस प्रधिकार का प्रयोग करता हो,जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पेराग्राफ 5 में उक्तिसित उस गतिविधियों तक सीमित न हों, जिनका याँद वह कारीबार के एक निश्चित स्थान के मध्यम से प्रयोग केसता है तो उस पेराग्राफ के उपवर्धों के अधीन कारोबार का यह निश्चित स्थान एक स्थान एक स्थान एक स्थान के संस्थापन नहीं दन जाएगा ; अथवा

- १सा के प्रिंगिकार प्राप्त नहीं हो, परन्तु वह प्रधमोक्त राज्य में आमतौर पर माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रस्ता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से दिलीवर्ष करता हो; अथवा
- शग वह प्रथमोवत राज्य में पूर्णरूप से अधवा लगभग पूर्ण रूप से उस उद्यम के लिए ही अधवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने व्यक्ते अधवा उस उद्यम वार नियंत्रित होने वाले अधवा उस उद्यम के समान ही नियंत्रण के अधीन आने माले उद्यम अधवा अन्य उद्यमों के लिए आमतीर से आईर प्रथम करता रहा हो।
- 7. इस अनुक्षेद के पूर्ववर्ती उपवर्षों के होते हुए भी, एक संविद्यांकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनः बीमा करने को छोड़कर, दूसरे संविद्यांकार्ष राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य की सीमा में क्रिमियम एकत्र करता हो अथवा वह स्वतंत्र हैसियत क्लो उस व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता है, से क्रिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोतियों का बीमा करता हो ।
- 8- किसी उद्यम का दूसरे सीवदाकारी राज्य में मान इस कारण से एक स्थाणी संस्थान का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन फ्लैंट अथवा स्वतंत्र हैंसियत खले किसी अन्य फ्लैंट के माध्यम से कारोबार करता है, इश्लें कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, यदि ऐसे किसी फ्लैंट के कार्यकलाप उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णरूप से सम्फन किए जाते हैं और उनके बीच व्यापित तथा जिल्लीय संबंधों में लगाई गई अर्ते उन अर्तो से भिन्न हों जो ऐसी शियति न होने पर लगाई या अधिसीपत की जातीं तो वह फ्लेंट इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ एक स्वतंत्र हैसियत अला फ्लेंट नहीं माना जाएगा।
- 9 इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वस नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य हैचाई किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथाह में कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्थान दूसरे कम्पनी की एक स्थायी संस्थापन नहीं इन जास्सी !

- 11 -

अनुस्केष - 6

बचल सम्पत्ति से आय

- 1. एक संविद्यकारी राज्य के किसी निवासी की दूसरे संविद्याकारी सम्य में रिशन अदल सम्पत्ति (इसमें कृषि तथा वन-सम्पत्ति से प्राप्त आय भी श्रामिल है) से अर्जित आय पर उस दूरारे संविद्यकारी राज्य में कर लगेगा ।
- 2. "अचल सम्पति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संविधित राम्पति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में, ये शामित होंगे अचल सम्पति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संवधी सामान्य कानून के उपवंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और अनिज मंडार, खोत तथा अन्य प्रकृतिक संसाधनों के संवालन के लिए अधवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिपत्त के रूप में परिवर्तनीय अधवा नियंत अहायांगियों के अधिकार, जलयान, नाव तथा विमान तथा भोतर बाहन अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।
- उसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर मी लागू होंगे ।
- 4- पैसग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उदाम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आप्य पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्णादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आप्य पर मी लागू होंगे।

- 12 -

अनुध्धेद - ७

कार्डवार से लाम

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लागों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि बह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायों संस्थापन के माध्यम में उस राज्य में कारोबार नहीं कस्ता हो । यदि उद्यम उपयुंक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लागों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लागों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थार्ड संस्थापन को उत्पन्न हुए माने जाएं ।
- 2- पैराग्राफ 3 के उपवंशों के अधीन रहते हुए, जहां एक सींबराकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सींबराकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो ऐसी रिशति में वहां प्रत्येक सींबराकारी राज्य में होने वाले लाम को उस स्थायी संस्थापन का लाम समझा जाएगा जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और मिलन उद्यम होता और उस उद्यम के साथ यह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी श्वायी संश्वापन के लक्ष्मों के निर्धारण में उस व्यय की करोती की अनुमति दी जाएगी, जो स्थायी संश्वापन के प्रयोजनाई किया जाता है, चाहे स्थायी संश्वापन उस राज्य में स्थित हो अथवा अन्यत्र । कार्यकार्य तथा सामान्य प्रशासनिक व्ययों में उस राज्य के कर कानूनों के अनुसार करोती अनुमत की जाएगी । तथापि, इस पैराग्राफ में व्ययों संबंधी ऐसी करोती प्रधिकृत नहीं की जाएगी जो कि करोती योग्य नहीं होती योद स्थायी संश्वापन एक अलग उद्यम होता ।
- 4. कोई लाम केवल इस कारण स्थायी मंस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगए कि उस स्थायी मंस्थापन दारा उद्यम के लिए माल अथवा भण्य-वस्तुओं की सरीद की गई है।
- पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उद्भूत समझे जाने वाले लामों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी फर्टीत से निधारित किया जला रहेगा, जब तक कि उसके विपरित कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।
- 6. जहां आय की मदों में वे लाभ शामिल होते हैं जिनका इस जीमसमय के अन्यं अनुस्केदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुस्केदों के उपकंध इस अनुस्केद के उपवंधों से प्रमावित नहीं होंगे।

- 13 -

अनुस्केद 🗕 8

जहाजरानी तथा वस्यू परिवहन

- 1. किसी सींधवाकांचे राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय योतायात में जलयानों या व्ययुयानों के प्रचलन अथवा उनके किराए और अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों या व्ययुयानों के प्रचलन से संबद आधानों और संबंधित उपकरणों के किसए से प्राप्त लागों पर केवल उसी सींधेदाकारि राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- थराग्राफ 1 के प्राक्थान किसी पूर्त, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन प्रोन्सी में सहभागिता से प्रप्त लक्ष्मों पर भी लागू होंगे ।
- उ. इस अकुछेद के प्रयोजनार्ध, अन्तरकाट्टीय यातायात में जलयानों या क्युयहर्नों के प्रवालन से सीचे तौर पर जुड़ी निधियों के ब्याज को ऐसी जलयानों अथवा लयुयानों के प्रवालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा तथा अनुष्ठेद 11 के प्रकाशन ऐसे ब्याज के संदर्भ में लागू नहीं होंगे, दश्रों कि ऐसी निधियां उस प्रवालन से संदर्भ हों।
- 4. इस अनुरुष्ठेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के होते हुए भी, किसी एक सींवदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे सींवदाकारी राज्य के बंदरगाहीं तथा तीसरे देशों के बंदरगाहों के बीच पोतों के प्रचालन से उद्भृत लक्ष्मों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा किन्तु उस दूसरे राज्य में लगाया गया कर उसके दो तिहाई के बराबर की सींश तक कम हो जाएगा ।

- 14 -

अ**नुद्धी**द - 9

सम्बद्ध उद्यम

जहां :

- कि एक सीवताकारी राज्य का कोई उगम दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उगम के प्रबंध, नियंत्रण अध्यक्ष पूंजी में प्रत्यक्षतः अध्यक्ष अप्रत्यक्षतः भाग लेता है;
 अध्यक्ष
- ईस के व्यक्ति प्रत्यक्षतः अध्व अप्रत्यक्षतः एक सीवदाकाचि कन्य के किसी उद्यम में और दूसरे सीवदाकाचि राज्य के किसी उद्यम में प्रकंध, नियंत्रण अध्यक्ष पूंती में भाग लेता है :

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके विकियक अथवा कितीय संबंधों में ऐसी कर्ते रबी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन क्षतों से मिन्न होती हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, ऐसे मामलों में ऐसे कोई लक्ष्म जो उन क्षतों के न होने पर किसी उद्यम को प्राप्त हुए होते किन्तु उन क्षतों के कारण ऐसे लक्ष्म प्राप्त नहीं हुए तो ऐसे लक्ष्मों को उस उद्यम के लक्ष्मों में क्षामिल कर लिया जाएगा और तदनुसार उन पर कर लगाया जाएगा ।

2. जहां एक संविद्यकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाओं में उन तामों को मिम्मितित करता है और तदनुसार कर तमाता है जिन पर दूसरे संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मितित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोत्तितिक राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लामों पर वहां प्रमास्ति कर की द्यारा के बसबर समृचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपवेधों को यद्योचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्रशिक्ति एक दूसरे के साध गरामाई करेंगे ।

- 15 -

अनुस्तेद - 10

त्रमांश्च

- 1- एक सॅनियाकारी राज्य की नियासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविद्यकारी राज्य के किसी निवासी को अबा किए गए लक्षांत्र पर उसे दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2- तथापि, ऐसे लक्षांशों पर उस संविद्याकारी राज्य में भी और उस राज्य के कामून के अनुसार कर लगाया जा संकैगा, जिसकी लक्षांश अदा करने वाली क्रम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लक्षांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लक्षांशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लक्ष्मों के कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लक्ष्मांशों की अदायगी की जाती है ।
- उन इस अनुस्केद में यथा-प्रयुक्त 'लक्ष्मांश' कव का अभिप्राय, शैयरी अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जी लक्ष्म की भागीदारिता के ऋग-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस कव्य के कानूनों के अंतर्गत शैयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी कितरण करने वाली कम्पनी एक निकासी है।
- 4- पेराग्राफ 1 और 2 के उपनंच उस स्थित में लागू महीं होंगे, यदि लामांशों का डिसभागी स्थामी, जो एक सीवड़ाकारी राज्य का नियासी होने के कारण उस दूसरे सीवड़ाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वांत्र नैयम्तिक सेवार सम्मन्न करता है जिसकी तामांश अदा करने वाली कम्पनी एक नियासी है और जिस धारणाधिकार के संबंध में लामांश अदा किए जाते हैं वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमायी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में सामा-निश्चित अनुरुष्ठेद 7 अथवा अनुरुष्ठेद 14 के उपवंध लागू होंगे।
- 5- जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सीवदाकारी राज्य मे लाम अध्या आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लक्षांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लामांश उस दूसरे राज्य के निवासी की अदा किए जाते हीं अध्या जहां तक कि ऐस पारणाधिकार के आरे में लामांशों की अदायांगी की जाती है, यह उस राज्य में वहां दिश्चल किसी स्थायी संस्थापन था किसी नियंत स्थान से प्रमावी रूप में संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अवित्तित लाम संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, बाहे अदा किए गए लामांश अथवा अवित्तित लाम पूर्ण रूप से अध्या आंक्षिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाम अथवा आय के रूप में ही हीं।

- 16 -

अनुस्केद - 11

भ्याज

- एक संविदाकारि राज्य में उत्पन्न होने बले तथा दूसरे स्विदाकारी राज्य के किसी निवासी को अस किए जाने वाले ज्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2- तथापि, इस फ़्रकार के ब्याज पर उस सीवदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जापगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि फ्रानकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो इस फ्रक्षर लगाया गया कर ब्याज की सकत रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ! सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी पारस्परिक सहमति से इस सीमा को लागू करने के तरीके पर निर्णय करेंगे !
- 3- पैराग्राफ 2 के उपनंधों के होते हुए भी, एक संविदकारी राज्य में उद्भूत होने वाले स्थान पर उस संविदकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी वशर्ते कि वह निम्निलिसित द्वार प्रदत्त प्रस्थाभृत या बीमाकृत किसी झण अथवा केहिट के संबंध में प्राप्त किया गया हो और हितधाणी स्प से अपने स्वामित्य में रसा जाता हो : अथवा
 - \$क\$ दूसरे सीवदाकारी राज्य की सरकार, एक राजनैतिक उप-प्रमाग, एक साँविधिक निकास सा स्थानीय प्रधिकरण; अधाना
 - १ स १ । शास्त के मामले में भारतीय रिजर्व वेंक, भारतीय औद्योगिक विस्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास वेंक, भारतीय अध्यात-निर्यात वेंक, राष्ट्रीय आवास वेंक, भारतीय लगु उद्योग विकास वेंक तथा भारतीय औद्योगिक केंडिट एवं निवेश निगम १ आई। सी० आई०सी०आई० है : और
 - १ (११) आयस्तैण्ड के मामले में आयस्तैण्ड का केन्द्रीय बैंक; अथवा
 - §ग है कोई अन्य दशी प्रकार की संस्था जिस पर सप्रय-समय पर दोनों सींजदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरणों के बीच सहमति व्यक्त की जाती हो ।
- 4. इस अनुष्ठेद में यथा-प्रयुक्त "ज्याज" शब्द से अभिप्रेत है- प्रत्येक प्रकार के सण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक दारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें सण-दाता के लागों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अधवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकात प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पर्जो अथवा सण-पर्जो से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपर्जो अथवा सण-पर्जो से प्राप्त अथि, जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपर्जो अथवा सण-पर्जो से प्राप्त हों। किन्तु इसमें ऐसी कोई

अथ श्रीमल नहीं होगी जिसे अनुस्केंद्र 10 के अंतर्गत लक्ष्मांश के रूप में माना जाता है । विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थ वंड संबंधी प्रभागों को इस अनुरुष्ठेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपलंध उस स्थित में तागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हित्माणी स्वाणी, जो एक सीवराकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सीवदकारी राज्य में, जिसमें ब्याज भ्रेदभूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के मध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से सैबंधित हो ऐसे मामलों में अनुक्षेद 14 के उपलंध यथास्थित लागू होंगे।
- 6. ब्याज किसी सींबनाकार राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने बाता स्वयं वह सींबदाकारी राज्य एक राजनैतिक उप-प्रभाग, एक स्थानीय प्रधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने बाते व्यक्ति का चाहे वह किसी सींबदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी सींबदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण तिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है, तो इस प्रकार का ब्याज उस सींबदकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें यह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हिस्त है।
- ? जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हित्तमाणी स्वामी के बीच अधाय उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस रूप-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज कर रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थित में अदाकर्ता और हित्माणी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुस्टेड के उपवंध केवल अन्तिम वर्षित रकम पर लागू होंगे । पेसे मामले में, अदायणी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपवंधों का सम्यक अनुमलन करते हुए प्रत्येक सीवंदाकारी काया के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

- 18 -

अनुच्छेद - 12

रायरिट्यां और तकनीकी सेवाजों के लिए फीस

- 1. एक सीवदाकारी सज्य में उद्भृत होने वाले और दूसरे मीविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायिन्टियों अधवा तंकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार की रायिस्टियों अध्या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सीववाकारी राज्य में भी जिसमें वे उदमृत हुई हीं और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायिस्टियों अध्या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर रायिस्टियों अध्या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिकात से अधिक नहीं होगा ।
- ३० १क६ इस अनुरुष्टेद में प्रधा-प्रयुक्त "रायित्यों" पर से रेडियो अधवा दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में प्रयोग के लिए सिनेमा फिल्मों या फिल्मों या देखें, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया सहित साहित्यिक, क्लात्यक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापी राइट के प्रयोग हेतु अधवा प्रयोगिधिकार हेतु अधवा वायुयान को छोड़कर औद्योगिक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अधवा प्रयोगिधिकार हेतु अधवा प्रयोगिधिकार हेतु अधवा प्रयोगिधिकार हेतु अधवा प्रयोगिधिकार हेतु अधवा औद्योगिक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सुचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्रपत्त की गई किसी भी प्रकार की अदायिगयां अभिनेत हैं।
 - ईस है "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिग्रेत हैं प्रशंधकीय तकनीकी अध्या परामर्शी सेवार्थ प्रदान करने के लिए उसके प्रीतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायिगयां जिसमें तकनीकी अध्या अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान भी सिम्मिलित है किन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुद्देश 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदार्यागयां सम्मिलित नहीं हैं ।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि स्थिति अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविद्याकारी राज्य का निवासी है दूसरे सीवदाकारी राज्य, जिसमें स्योदित्यां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भृत होती है, वहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अधवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित किसी शिवत स्थान से स्वतंत्र नैयित्तक सेवाप करता है तथा जिस अधिकार अथवा

सम्पति के संबंध में रायित्यां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान के साथ प्रमायी रूप से संबंधित हैं ऐसे मामले में अनुस्केद 7 अध्या अनुस्केद 14 के उपवंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

- 5. एक सीवदाकारी राज्य में सायित्दायों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्धूत हुई मानी जाएगी, जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, फ राजनैतिक उप-प्रमाग, फ स्थानीय प्रशिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो ! तथापि, जहां सायित्दायों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी सीवदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायित्दायों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायित्दायों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान वर वहन की जानी हो, तब ऐसी रायित्द्रियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान वर वहन की जानी हो, तब ऐसी रायित्र्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस रायायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान वर वहन की जानी हो, तब ऐसी रायित्र्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्धूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है ।
- 6. जहां, अवाकर्ता और हितमारी स्वामी के बीच अयवा उन दोनों और किसी अन्य अयिका के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रवत्न रायहिट्यों अथवा तकनीकी मेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुष्रिधित में अवाकर्ता और हितमागी स्वामी के बीच सहमांत ही गई होती, बड़ां इस अनुस्टेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे ! ऐसे मामलों में अवा की गई रकम के अतिरिक्त माग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकरी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जिएसा !

- 20 -

अनुच्छेद - 13

पुँगीगत अभिलक्ष

- 1. पक्ष सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा अनुस्केद 6 में उद्दिलीवत और दूसरे सीवदाकारी राज्य में स्थित अवल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों यर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।
- 2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर, जो एक सींवदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सींवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थापी संस्थापन की कारवार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर, जो सम्पत्ति एक सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सींवदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैद्यांक्षिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थापी संस्थापन है अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथह अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ मी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगा सकेगा ।
- 3. फ्र सेविदाकारी राज्य के किसी उत्तम द्वारा अन्तरसम्बीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों या वायुपानों अधवा इस फ्रकार के जलयानों या वायुपानों के प्रचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्रध्त अभिकाशीं पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा !
- 4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के क्षेत्रों के अंतरण से प्रप्त अभिलामों पर, जिसकी सम्पित प्रत्यक्ष अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी संविद्याकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित की, उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 5. ऐस 4 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पती के श्रेयरों से किन्न शेवरों के अंसरण से अपने अमिलाओं पर उस राज्य में कर नगाया जापगा ।
- 6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भ्रान्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी संविद्यकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निकासी है ।

- 21 -

अनुद्धेद - 14 स्वतंत्र वैद्यक्षितक सेवार

- 1- प्क मीवेदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यादमायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापें से प्राप्त आय, निम्निलिसिन परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब फेरी आय पर दूसरे सीवेदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी सीवेदाकारी राज्य में करायेय होगी :--
 - हैक है यदि उसे अपने कार्यकलायों के निष्यदन के प्रयोजनार्थ दूसरे सींवदाकारी राज्य

 में एक निश्चित स्थान निर्यामत रूप में उपलब्ध है तो उस मामले में उस

 दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस

 निश्चित स्थान के कारण उद्भात हुई मानी जा सकती है ; अथवा
 - है सहँ यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अधवा अवधियां संवंधित विस्तीय वर्ष में आराम होने वाली अधवा समास्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अधवा इससे अधिक हो, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके हारा निष्पदित कार्यकलायें से प्राप्त होती है।
- 2. "ब्यावसायिक सेवाएं" पर में विशेषतया, स्वतंत्र वैद्यानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अयवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, क्कीलों, डीजीनयरों, वस्तुविटों, शल्य-विकित्सकों, दन्त-विकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

- 22 -

अनुद्धेद - 15

परावसम्बत वैद्यक्तिक सेवाएं

- 1. अनुन्छेद 16, 18, 19 और 21 के उपनंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो एक सेविदाकार राज्य का निवासी है, उसके द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त केतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे सेविदाकार राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे सेविदाकार राज्य में किया गया है, तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
 2. पराग्राफ 1 के उपनंधों के होते हुए भी, एक सेविदाकार राज्य के किसी निवासी द्वार दूसरे संविदाकार राज्य में कर लग सकेगा।
 - श्रृंक श्रिप्तकर्ता संबंधित विस्तीय वर्ष में आरम्भ अध्या समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अबधि में कुल मिलाकर आंधक में अधिक 183 दिन की अबिध वा अविधर्मों के लिए उस एज्य में उपस्थित रहता है; और
 - | ल | परिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वरा अधवा उसकी ओर से बदा किया गया है जी दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
 - §गं । परिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथक निश्चित स्थान द्वरा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे सीविधकारी राज्य में हो ।
- 3- इस अनुरहेद के पूर्ववर्ती उपक्री के होते हुए भी, एक सीवदाकारी सन्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यानायात में संचालित किसी जलयान या विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में क्रांत परिथिषक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

- 23 -

अनुस्केद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायिक्यों जो एक संविदकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविद्याकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर तगेगा।

- 24 -

अनुस्केद - 17 मनीरंजनकर्ता और सिताडी

- 1- अमुद्धेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी एक सेविदाकारी राज्य के किसी निवासी बारा मनीरंजनकर्ता जैसे कि कोई धियेटर, चलचित्र, रेडियो अधना दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अधना किसी बिलाही के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के
- उसके वैद्यवितक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अधवा किसी बिलाड़ी इस अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलाणों के रांबंध में प्राप्त आब रवधं मनोरंजनकर्ता या विलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपने किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुस्केद 7, 14 और 15 के उपनेधों के होते हुए भी, उस संविद्यकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें भनोरंजनकर्ता अधवा खिलाड़ी के कार्यकलाए किए जाते हैं।
- 3. देशसाप 1 और 2 के उपका मनोरंजनकर्ता अधवा सिलाही दश किसी संविदाकारी राज्य में निष्मदित कार्यकलायें से प्रथत आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए सैंविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों या उनके राजनैतिक उप-प्रमागों या स्थानीय प्राधिकरणों की लोक निष्टियों हारा पूर्णतया उनकी सहायतर की जाती हो । ऐसे मामले में, उका आय केवल उस सीवदाकारी राज्य में ही करायेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या सिलाही निवासी है ।

- 25 -

अनुष्ठेद - 18

पेशन तथा अन्य वर्षिकियां

- 1- अनुक्ति 1.9 के पैराग्राफ 2 के उपवंधों के अध्याधीन एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी को पूर्व नियोजन के प्रतिफल में अदा की गई पैंशन और अन्य इसी प्रकार के प्रतिग्रामिक तथा ऐसे निवासी को पूर्व नियोजन के प्रतिग्रास में अदा की गई कोई वार्षिकी केवल उस राज्य में कराधेय होगी ।
- 2- "वर्षिकी" पर का अभिप्रय उस उस्लिखित राशि से है, जो धन अध्यक्ष धन के मूल्य में पर्याप्त अध्यक्ष पूरे प्रतिफल के लिए अदायिगयां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अध्यक्ष विनिर्दिष्ट अध्या निश्चित समयावधि के दौरान उस्लिखित समय पर देय होगी ।

- 26 -

अनुदर्केव - 19

सकावे सेवा

- १० किश लिसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वस उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रमाग अथवा किसी प्रशिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यप्टि को अदा की गई पेशन से मिनन परिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
 - है सह तथापि, ऐसे पारिश्रामिक पर दूसरे सॉवदाकाते राज्य में तभी कर लगेगा, यदि मैबाएं उस दूसरे राज्य में की आती हों, और व्यिष्ट उस राज्य का एक निवासी हो, जो :-
 - है। इस राज्य का एक राष्ट्रिक हो : अथवा
 - § ií § मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस शक्य का निवासी नहीं बना हो ।
- श्रेक किसी सेविटाकारी राज्य अगवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अयवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वरा सृजित निधियों द्वरा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रमाग अथवा किसी प्रधिकरण के लिए की गई सेवाओं के सेवा में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेश्वन पर कैवल उस राज्य में ही कर लगेगा :
 - ∦सं तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे सींधदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यांस्ट उस दूसरे राज्य का पक निषासी तथा राष्ट्रिक हो ।
- 3. अनुस्केट 15, 16 और 18 के उपकंप किसी सीविद्याकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलीसले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रपत परिव्यमिक तथा फिर्नों पर लागू होंगे ।

- 27 -

बनुच्छेद - 20

विद्यार्थी तथा प्रशिक्ष

- 1. एक विद्यार्थी अध्या व्यावसायिक प्रशिक्ष जो एक सींवराक्ता किया का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी सींवराकारी राज्य का निवासी है अध्या छा और जो उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी जिल्ला अध्या प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है उसे उस दूसरे राज्य में निम्निलिखित पर कर से छूट की जाएगी:
 - इंकई उस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वरा उसके भरण-वेषण, शिक्षा अध्या प्रशिक्षण के लिए की सई अवायियायों ; अध्या
 - हुंसाई उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्रध्न परिश्रमिक जिसकी रूकम किसी किस वर्ष में उस रकम से अधिक न हो, जिसे दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान कानूनों से छूट प्रध्त हो, जिसे दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान कानूनों से छूट प्रध्त हो, बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष कप से संबंधित हो अध्या उसके भरण-पेषण के उद्देश्य हेतु किया गया हो ।
- इस अनुष्ठिद के लाभ केवल उसी अवधि तक ही लागू रहेंगे जो ऐसी शिक्षा अध्यवा प्रशिक्षण पूरा करने हेनु व्यावहारिक अधवा प्रचलित हों, परन्तु किसी भी परिस्थित में कोई व्याप्ट उस दूखरे सीविदाकारी राज्य में प्रथम आगमन की तारील से लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि तक इस अनुष्ठिद के लाभ नहीं उठा सकता है ।

- 28 -

अनुद्धेद - 21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

- कीई फ्रेफेसर, लध्याफ अध्या शोधकर्ता जो दूसरे सीवदाकार्ष राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक सीवदाकार्ष राज्य का निवासी है अध्या निवासी था और जो शिक्षण अथवा शोध कार्य करने अध्या दोनों ही प्रयोजनों हेतु उम दूसरे सीवदाकार्ष राज्य में स्थित किसी विश्विविद्यालय, महाविद्यालय अध्या उसी तरह के किसी अन्य संस्था में ऐसे अध्यापन अध्या शोध कार्य हेतु जाता है, तो उसे उस दूसरे राज्य में ऐसे प्रयोजन के लिए उसके पहली बार पहुंचने की तासिल मे उस अवधि तक किसी परिश्रमिक पर कर से छूट प्रथत होगी जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो ।
- 2. यह अमुच्छेद रेसे क्षोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि रेसा क्षोध कार्य मुलत: किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो ।
- 3. इस अनुरुष्ठेद तथा अनुरुष्ठेद 20 के प्रयोजनों के लिए किसी क्येकिट की एक संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि जिस किस्त वर्ष में वह दूसरे संविद्याकारी राज्य का निवासी राज्य में जाता है, उस किस्त वर्ष में अधावा उस वर्ष के तत्काल पूर्वक्ती वर्ष में, वह पूर्वीक्त संविद्याकारी राज्य का निवासी रहा हो ।

į

- 29 -

अनुब्छेद - 22

सन्य आय

- 1. एक सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्टे, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अधिसमय के पूर्वीक्त अनुक्तियों में विचार नहीं किया गया है, केवत उस राज्य में कराधेय होंगी ।
- 2- पैसग्राफ 1 के उपलंध, अनुस्केद 6 के पैसग्राफ 2 में यथा-पीक्सिपित अवल सम्पित से प्रियत आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सीनदाकारी राज्य का निवासी होने के नाले दूसरे सीवदाकारी राज्य में बहां िश्रात किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे सज्य में स्थित किसी निरिचत स्थान से स्वतंत्र वैयोक्ति सैवाएं निय्यदित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पित्त जिसके सैवंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में, यथा-सिर्धात, अनुस्केद 7 अथवा अनुस्केद 14 के उपलंध लागू होंगे ।
- उ. पैराग्राफ 1 के उपनंशों के होते हुए भी, यदि एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर लाटीस्यों के जीत ने, पहेलियों, दौड़ों जिसमें घुड़-दौड़ भी शामिल है, ताझ के पत्तों एवं अन्य सेलों अध्या किसी प्रकार के जुए अध्या किसी किसम की शर्त से आग्र प्रकार होती है, ऐसी आग्र पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

- 30 -

अनुब्छेद - 23

दोडरे कराधान का अपकरण

- वोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रकृत कानून, संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामले में लागू रहेंगे, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस अभिसमय में उनके विपर्तत स्पष्ट उपवंध किया गया हो ।
- 2. मास्त से वाहर किसी राज्य क्षेत्र में अदा किए गए भारतीय कर के प्रीत केंडिट के रूप में अनुमित देने के संबंध में भारतीय कानून के प्रावधानों के अध्यथीन केंक्रिससे यहां के सामान्य सिर्वात पर प्रमान नहीं पड़ेगाई आयरतैण्ड के मीलिये सोलों से प्रपत्त आय के बारे में किसी भारतीय निवासी बार आयरतैण्ड के कानूनों के अंतर्गत और इस अधिसमय के प्रावधानों के अनुसार अदा की गई आवारतैण्ड के कर की सांख, बाहे वह प्रस्थत तौर पर बादा की गई हो अथवा कटेती बार, जिस पर मास्त और आयरतैण्ड दोनों देशों में कराधान किया गया हो उस पर ऐसी आय के बारे में देय मातिय कर के प्रीत केंडिट की अनुमित दी जाएगी किन्तु केंडिट की यह अनुमित भारतीय कर के उस अंश की सींश से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार की आय भारतीय कर के लिए कर लगाने से संबंधित होगी।
- अध्यातिण्ड से बाहर के किसी राज्यक्षेत्र में देय कर को आयरिश कर के प्रित केंडिट के हम में अनुमति देने के बारे में आयरतिण्ड के कानूनों के उपकंशों के अध्याधन हिजससे यहाँ के सामन्य सितांतों पर प्रमाव नहीं पहेगाई।
 - श्विक्ष मास्त के भीति है सीतों से प्राप्त लाभों, आय और अभिलाभों पर इस अभिलाभय के अनुसार और भारतीय कामून के अंतर्गत सैटेच मास्तीय कर, बाड़े वह प्रत्यक्षत: दिया जाए अथवा कटेती खार श्रेडन लाभों के संबंध में देव लाभांश कर के मामतों को छोड़कर जिसमें से लाभांश अदा किया जाता है है को उन्हीं लाभों, आय और अभिलाभों के संदर्भ दरा परिकलित कियी आयरिश कर के प्रांत केहिट के रूप में अनुमति दी जास्ती जिस संदर्भ के द्वरा भारतीय कर का परिकलन किया जाता है ।
 - १स१ भारत की निवासी किसी कम्मनी द्वार आयरलैण्ड की निवासी किसी ऐसे कम्मनी की अदा किए गए लक्ष्मांस के मामले में जो लक्ष्मांश देने वाली कम्पनी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 25 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान के अधिकार का नियंत्रण रखती हो, केडिट ऐसे लक्ष्मों के बारे में कम्पनी द्वार मंदेय ऐसे भारतीय कर १उप-पैरा११किं के प्रावधानों के अधीन केडिट किए जाने वाले किसी मास्तीय कर के अतिरिक्त। को ध्यान में रक्षेण जिसमें से ऐसा लक्ष्मांश अदा किया जाता है ।

- १क६ पेराग्राफ 3 के उप-पेराग्राफ १ तई के प्रयोजनार्थ "भारतीय कर देय" पद में वह 75 प्रतिश्वत कर श्रांपिल माना जाएगा को भारतीय कानून में निवद प्रित्साहन प्रक्रानों के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी छूट अथवा कर कटोती न दिए जाने पर अदा किया गया होता जिसका उक्केश्य उस सीमा तक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है कि इस प्रकार की छूट अथवा कटोती औदोंगिक अथवा विनिम्मण कार्यकलामें अथवा अवसंरचना कार्यकलामें के विकास, रख-रखव और प्रयालन से अथवा कृषि, मतस्य-गृहण या प्रयंटन १ रेस्टोरेंटों और होटलों सहित् से प्रप्त लागों के लिए दी जाती है वहतें कि ऐसे प्रेतसाहन प्रविधान इस अभिसमय पर इस्ताहर किए जाने की तारिक से तत्वत: अपरिवर्तित रहें और यह कि ऐसे कार्यकलाम भारत में किए गए हों।
- १स१ उप-पेरा "क" के प्रवधान इस अभिसमय के प्रकृत होने की तारीख़ से 12 क्यों के बाद लागु नहीं रहेंगे ।
- हैगई यदि भारत उप-पैरा "क" में चिनिर्दिष्ट कार्यकलापें के संबंध में फ्रेस्साइन प्रावधानों को तरकतः संशोधित करता है अध्या ऐसे कार्यकलापें के बारे में केई निए फ्रेस्साइन प्रावधान श्रुस करता है तो भारत लिखित रूप में यह अनुतेध कर सकता है कि यह पैराग्राफ ऐसे संशोधित अध्या नए प्रावधानों पर लागू होना चाहिए। इसी फ्रांसर अप-पैराग्राफ ईसई में समय-सीमा को बढ़ाने के लिए लिखित रूप में अनुतेध कर सकता है। ऐसे अनुतेध प्राप्त होने पर आयरलैण्ड ऐसे प्रयोजनों के लिए भारत से समसीना-कार्त श्रुस करेगा।
- पेराग्राफ 2 और 3 के प्रयोजनार्थ, किसी सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी की स्वामित्व में आने वाले लाम, आय पर्व अधिलाम जिनपर इस अधिसमय के उपवंधों के अनुसार अन्य सींबदाकारी राज्य में कर लायाया जा सकता है, उस अन्य सींबदाकारी राज्य के स्रोतों से उद्भूत हुए माने जांगी ।
- 6- ऐसे आय को, जिस पर इस अभिसमय के उपनेयों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जा सकता है, उस संविदाकारी राज्य में अन्य आय पर लगाए जाने वाले कर की रकम की संगणना के लिए प्यान में रसा जायगा।

- 32 -

अनुस्केद - 24

सम-व्यवहार

- 1. एक सींवराकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सींवराकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अध्या तत्सेंबंधी ऐसी कोई अध्या लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्सेंबंधी अध्याओं से भिन्न अध्या अध्यक्ष बेशिल हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिश्चितियों में लागू होती हो अध्या लागू की जानी हो । अनुराहेद 1 के उपकंधों के होते हुए भी यह उपकंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा, जो एक अध्या दोनों सोंबराकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।
- 2. एक सींधदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सींवदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समेहए कार्यकलार्षों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेझाकृत कम अनुकृत हो ।
- 3. पक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या अप्रिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके बचा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोहिलबित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस करायान में और तत्संबंधी अपेक्षाओं से मिनन अध्यवा अधिक बेशिल है जो प्रथमोहिलिसित राज्य के अन्य दमी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।
- 4. उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां अनुस्केद 9 का पैराग्राफ 1, अनुस्केद 11 का पैराग्राफ 7 अथवा अनुस्केद 12 का पैराग्राफ 6 लागू होता हो, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वरा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कराधेय अभिलाओं का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अदा किए गए ब्याज, रायित्यों तथा अन्य संवित्तरण ऐसी ही पिरिस्थितियों के तहत करोती करने योग्य होंगे मानो इनका मुगतान प्रयमित्विसित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो।

- 33 -

अनुद्धेद - 25

षरस्परिक कतर विधि

- 1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों सीयदाकारी राज्यों में से किसी एक अध्या दोनों राज्यों की कार्रवाइयों के कारण उस पर कोई ऐसा कर लगाया जातो है अध्या लगाया जाएगा जो इस अधिसमय के उपलंधों के अनुस्म नहीं है, तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों इस उपलंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी की प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है, अध्या यदि उसका मामला अनुरुद्धेद 24 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी की प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह भागता उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तार्रिस से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वस्थ उस पर ऐसा कर लगाया जाता है जो इस अधिसमय के उपलंधों के अनुस्य नहीं है ।
- 2. यदि ससम प्रधिकारी को आपिता उचित लगे और वह स्वयं किसी संतीपजनक इल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से, जो इस अधिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे सीयदाकारी राज्य के सलम प्रधिकारी के सल्य परस्परिक सहमित दारा मामले की इल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे सीवयकारी राज्यों के देशीय कानुनों में कोई समय-सीमा क्यों न हों ।
- उक्त अधिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में किसी प्रकार की किठिताई अथवा शंका उत्पन्न होने पर सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी उन्हें परस्परिक सहमांत से इल करने का प्रयास करेंग । वे उन मामलों में भी दोइरे करायान के अवकरण के लिए परस्पर विद्यार-विमर्थ कर सक्से हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।
- 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझीते पर पहुंचने के प्रयोजनार्ध सींवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं । यदि किसी समझीते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौसिक मतों का आवान-प्रवान उपयुक्त प्रतित हो तो ऐसे आवान-प्रवान सींवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी के प्रतिनिधियों के किसी संयुक्त आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

- 34 -

अनुस्केद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

- 1. संविद्याकारि राज्यों के सक्षम प्रधिकारि दस्ताकेंगों सहित ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अधिसमय के उपलंधों की अध्वा संविद्याकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपलंधों को कार्यान्वित करने के तिए आवश्यक है, जो इस अधिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था विशेषकर ऐसे करों की जालसाजी अध्वा अध्वंचन को रोकने के तिए इस अधिसमय के प्रतिकृत नहीं हो । सूचना का आदान-प्रधान अनुद्धेव 1 वार प्रतिविधित नहीं है । किसी संविद्याकारी राज्य कर इस तरह प्रधान की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस संविद्याकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्रधान की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अध्वा प्रधिकारियों शिवसमें न्यायालय और प्रकासिक निकाय भी शामिल हैं। को प्रकट किया जाएगा जो इस अधिसमय के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अध्वा उनकी अपूर्ती करने, उनके प्रवान अध्वा अभियोजन के संबंध में अध्वा उनसे संविद्या के से संवद हों । ऐसे व्यक्ति अधवा प्रधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे उक्त सूचना को सार्वजिनक न्यायालय की कार्यजीहयों में अध्वा न्यायिक निर्वरों में प्रकट कर सर्वेगे ।
- 2. किसी भी रियति में, पेसग्राक 1 के उपक्यों का अर्थ किसी सेविदाकारी राज्य पर निम्निलिखित बायित्व डालना नहीं होगा :
 - कि उस अथवा दूसरे मीधेदकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से इटकर प्रशासनिक उपय करना ;
 - १ सं े ऐसी सूचना अध्वा दस्तावेजों की आपूर्ति करना जो उस अध्वा दूसरे सीवदाकारी राज्य के कानृनों के अंतर्गत अध्यक्ष प्रशासन की सामान्य निर्धात में प्राप्य नहीं है :
 - हैग है पेसी सूचना की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापिक, व्यावसियक, डीपोगिक, व्यावसियक अध्या वृक्तिक संबंधी गुप्त भेद अध्या व्यापिक प्रक्रिया अध्या सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकृत हो ।

- 35 -

अनुस्केद - 27

राजनियक एजेंट और कॉसुली अधिकारी

इस अधिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपवंधों के अंतर्गत राजनियक अथवा कैंसूली अधिकारियों के वित्तीय विशेषधिकारों यर कोई प्रभाव नहीं पहेगा ।

- 36 -

अनुच्छेद - 28

प्रकृत होना

- 1 स्थितकारी राज्य इस अभिसमय की लागू करने के लिए अपनेत्वपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रिया की पूर करने के संबंध में राजनधिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे की अधिस्थित करेंगे ।
- थह करार पैराग्राफ 1 में सँदर्भित आंध्यसूचनाओं में से बाद में प्राप्त की गई अधिसूचना के 30 दिन बाट से लागू होगा ।
- इस अभिसमय के उपलेग निम्नितिषित स्प से प्रभावी होंगे :-
 - हैक हैं। भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अमले औहल महीने के पहले दिन को अधवा उसके बाद आरम्म होने वाले किसी किसीय वर्ष में उद्भृत आय के संबंध में ; और
 - **१ म**े आयस्तैण्ड में :
 - १ | जिस वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके आगामी अर्थ के अप्रैल महीने के छठे दिन को अध्वा उसके बाद आरम्म होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर एवं पूंजीयत लाम कर के संबंध में ;
 - § ii § जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अधिसमय लागू होता है उसके आगामी वर्ष के जनवरी महीने के पहले दिन को अध्या उसके बाद आरम्म होने वाले किसी किसीय वर्ष के लिए निगम कर के संबंध में ।

- 37 -

अनुष्ठेद - 29

समापन

होनों सींवदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य बार जब तक इसे अभिसमय को समाप्त न कर इंद्रिया जाप तब तक यह लागू रहेगा । दोनों में से कोई भी सींवदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पंच वर्षों की समाप्ति के बाद किसी भी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले, राजनियक माध्यमों से, समाप्ति का नीटिस देकर इस अभिसमय की समाप्त कर सकता है । देखी स्थिति में, यह अभिसमय निम्निलिखित प्रकार से निष्णमाणी हो जाएगा :

- हैक है मारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके बाद अगले अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद किसी विस्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;
- §सा∛ *आधार*लेण्ड में ः
- १ (१ जिस कैतेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके आगामी वर्ष के औरत के छठे दिन या उसके बाव आसम होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर एवं पूँगीगत लाम कर के संबंध में ;

- 38 -

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विशिव्हा स्प से प्राधिकृत अयोहस्ताक्षीरयों ने इस अभिसमय पर इस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष हो इजार के जिल्लार माह के हुन्हें टिन, को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्यत्न किया गया तथा इसके दोनों पठ समान रूप से प्रामानिक हैं । दोनों पठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पठ को प्रभावी माना जाएगा ।

Philip Midnigh

आयरलैण्ड सरकार

की ओर से

Jethayay vya

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

प्रेतेक्वेल

आय तथा पूंजीयत अधिलाओं पर करें के संबंध में दोहरे करायान के पीरिहार और राजस्व अपनंचन की रोकने के लिए मास्त गणराज्य की सरकार और आय्रेलैण्ड की सरकार के बीच अधिसमय पर इस्ताक्षर करते समय, अधोडस्ताक्षरियों ने निम्नोलिखित उपनंधों पर सहमात व्यक्त की है, जो इस अधिसमय के अधिनन अंग होंगे !

1. अनुस्तेद 3 और 23 के संदर्भ में

जहां कोई क्योंका आयरलैण्ड का निवासी है और ऐसी साझीदारी का सदस्य है जो मास्त की निवासी है और इस अधिसमय के कारण साझीदारी के किन्हीं लागों, आय अध्यक्ष अधिलागों के आयरलैण्ड में कर से मुक्त किया जाता है तो साझीदारी के किन्हीं लागों, आय अध्या अधिलागों के ऐसी व्यक्ति के हिस्से के संबंध में ऐसे व्यक्ति की आयरलैण्ड कर की किसी देनदारी को यह अभिसमय प्रभावित नहीं करेगा, लागों, आय अध्या अधिलागों का ऐसा कोई हिस्सा अनुद्धेद 23 के पीरयोजनार्थ भारत में सोतों से लाग, आय अध्या अभिलाग माना जाएगा और ऐसी मागीदारी कर बहन किए गए मास्तीय कर के उचित भाग के लिए लागों, आय अध्या अभिलागों के उक्त हिस्से के संवर्ध इस संगमित किसी अध्यरिश कर के निवद केडिट के रूप में अनुमित दी जाएगी।

2 अनुस्तेद ७ के संदर्भ में

यदि किसी संविद्याकारी राज्य के कानूनों के अनुसार वीमा कारोबार कर रहे किसी उद्यम के किसी स्थायों संस्थायन को लाभ माना जाता है तो उद्यम के कूत सामों को उसके विभिन्न मार्गों के प्रीते अनुभाजन के आधार पर पैराग्राफ 2 मैं कुछ भी संविद्याकारी राज्य के ऐसे अनुमाजन द्वारा कर लगाए जाने के लिए लामों को निश्चित करने से प्रतिवाधित नहीं करेगा, तथापि अपनाई गई अनुभाजन पदिति ऐसी होगी कि उसका परिणाम अनुस्केद 7 में विद्यात सिदांतों के अनुसार होगा 1

अनुस्त्रेद 24 के संदर्भ में

इस अमुरुष्टेद के उपबंधों का अर्थ भारत में किसी आयरिश कम्पनी के किसी स्थायी संस्थापन के लामों पर इससे मिलतीं जुलती किसी भारतीय कम्पनी के लामों पर लगाए जाने वाले कर की दर से उन्दी दर से कर लगाने में भारत की रोकना नहीं होगा और न ही यह इस अभिसमय के अनुरुष्टेद ? के पेयग्राफ 3 के उपसंधों के प्रतिकृत माना आपगा ।

- 2 -

4. बस्ती में सहायता के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि इस अभिसमय के इस्ताक्षर की तारीख को आयरतेण्ड के कानून किसी अन्य देश की आय, तभीं अथवा अभिताभीं पर करों की वसूनी में सहायता देने की अनुमति नहीं देते हैं । तथापि, यदि इस अभिसमय पर इस्ताक्षर की तारीस के पश्चात् इस संबंध मैं आयरतेण्ड के कानून बदल जाते हैं और आयरतेण्ड क्सूनी क्सूनी में ऐसी अनुमति देने के लिए किसी दूसरे देश के साथ व्यवस्था करता है तो आयरतेण्ड भारतीय सक्षम प्रधिकारी को सूचित करेगा और यदि ऐसे प्रधिकारी बारा अनुरोध किया जाता है तो तत्काल इस अभिसमय में क्सूनी में सहायता के संबंध में उपनंधीं को क्षामिल करने के प्रयोजनार्थ बातचीत शुरू करेगा ।

- 3 -

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवन् रूप से प्रशिक्त अधोडस्ताक्षरियों ने इस प्रेतीकोल पर इस्ताक्षर किए हैं।

दर्भि दिल्ली में वर्ष दो हजार के ज्याबिक्यर माह के ट्यूट दिन को अंग्रेजी तथा हिन्दी मापाओं में दो-दो प्रतियों में निष्मन किया गया तथा इसके दोनों पट समान रूप से प्रमाणिक हैं । दोनों पटों के बीच अर्थ-निरूपण की मिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पट प्रमान होगा ।

Rily Midnigh

आयस्तेण्ड सस्कार

किनी और से

प्रकारम्बद्धारम्

मास्त गणराज्य की सरकार की ओर से